न्यायालयः अपर सत्र न्यायाधीश, न्याय कक्ष संख्या–2, बुलन्दशहर।
सत्र वाद संख्या–378 सन 2024

राज्य––––––––––बनाम––––––––––––––अरविन्द आदि।

18.09.2024

पत्रावली आदेश हेतु पेश हुई।

निस्तारण प्रार्थना पत्र 10बी

1. प्रार्थी/ वादी वीरपाल सिंह द्वारा प्रार्थना पत्र 10बी इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि उक्त मुकदमें में उसके द्वारा मृतक बंटी की इरादतन हत्या करने के सम्बन्ध में अभियुक्तगण अरविन्द, अंकित, विकास, अंशू, परविन्द्र व संजीव के विरूद्ध मु0अ0सं0–634 सन 2023 धारा–147, 148, 149, 302 भा0दं0सं0 थाना कोतवाली देहात पर दर्ज कराया था। वादी द्वारा अपनी तहरीर में स्पष्ट वर्णित किया है कि अभियुक्तगण उपरोक्त द्वारा मृतक बंटी को घेरकर चाकू व सरिया से चोट पहुॅचाकर मौके पर ही मार दिया था। विवेचनाधिकारी द्वारा सही विवेचना न कर केवल अरविन्द, विकास, परविन्द्र उर्फ प्रवीन व बाल अपचारी आनन्द के विरूद्ध धारा–304 व 34 भा0दं0सं0 में आरोप पत्र दाखिल कर दिया है। विवेचनाधिकारी द्वारा जिन प्रत्यक्षदर्शियों के बयान अंकित किये हैं, उन्होने घटना अचानक नहीं बल्कि इरादतन बतायी है तथा नुकुली चीज से मारा तथा मौके पर ही मृत्यु होना बताया है। सभी प्रत्यक्षदर्शी द्वारा इलाज से पूर्व ही हत्या होना बताया है। अभियुक्तगण द्वारा हत्या करने के इरादे से ही चोट पहुॅचायी, जिससे मौके पर ही मृत्यु हुई लेकिन विवेचनाधिकारी द्वारा अभियुक्तगण को लाभ पहुॅचाने की दृष्टि से बनाकर धारा–34 व 304 भा0दं0सं0 में आरोप पत्र दाखिल किया है। पत्रावली पर इरादतन हत्या का साक्ष्य उपलब्ध है। अतः याचना की गयी है कि उक्त मुकदमें में अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा–34, 304 भा0दं0सं0 के स्थान पर धारा–147, 148, 149, 302 भा0दं0सं0 का आरोप बनाया जाये।

2. अभियुक्तगण की ओर से आपत्ति 11बी प्रस्तुत करते हुए यह कथन किये गये हैं कि इस मामले में विवेचक द्वारा अभियुक्तगण अरविन्द, परविन्द उर्फ प्रवीन, विकास के विरूद्ध न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया है और उक्त मुकदमा आरोप में नियत है। वादी द्वारा दिया गया प्रार्थना पत्र गलत तथ्यों पर आधारित है तथा विधि विरूद्ध है। प्रथम सूचना रिपोर्ट 20 घण्टे 27 मिनट बाद देरी से दर्ज करायी गयी है। अभियुक्त अरविन्द दिनॉक–12.11.2023 को समय करीब 5.58 बजे शाम अपने मालिक द्वारा दीवाली का उपहार लेते हुए सी0सी0टी0वी0 फुटेज में घटना से 10 किलोमीटर दूर था। जबकि घटना शाम 6.00 बजे की है तो अभियुक्त अरविन्द का 2 मिनट में घटनास्थल पर 10 किलोमीटर की दूरी पर पहुॅचना सम्भव नहीं है। इससे घटना संदिग्ध प्रतीत होती है। वादी द्वारा एफ.आई.आर में गॉव के ही चश्मदीद गवाह नीटू व सुमित का घटनास्थल पर आना बताया गया है, जिसमें अरविन्द के हाथ में चाकू, विकास, परविन्द उर्फ प्रवीन के हाथ में लोहे की सरिया व लोहे की रॉड को दर्शाया गया है, जिसके द्वारा बंटी को मारना बताया गया है, जो गलत है। चिकित्सक द्वारा पोस्टमार्टम करते समय मृतक बंटी का शव का निरीक्षण करते समय बताया है कि सरिया, रॉड व चाकू से कोई चोट नहीं

Digitally signed by SURESH KUMAR SHARMA
Date: 2024.09.18 15:44:05 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

आयी है। उसकी मृत्यु पीछे सिर के बल गिरने के कारण हुई है तथा किसी नकुली वस्तु से मृत्यु हुई है। जो हथियार अभियुक्तगण से दर्शाये गये हैं, उनसे कोई चोट नहीं आयी है। विवेचक द्वारा अन्वेषण करते समय जो बयान गवाहान के लिये गये हैं, वो वादी के परिवार के लोग है, उक्त गवाहों ने बताया है कि बंटी को घायल अवस्था में गॉव के ही सुभाष अपने वाहन से सरकारी अस्पताल लाये, जहॉ पर डाक्टर साहब ने बंटी को मृत घोषित कर दिया था। धारा–302 भा0दं0सं0 का मुकदमा नहीं बनता है। वादी द्वारा प्रार्थना पत्र मुकदमें को लम्बित करने व लाभ अर्जित करने के लिये दिया गया है। अभियुक्तगण द्वारा मृतक की इरादतन हत्या नहीं की है और ना ही कोई सम्पत्ति आदि का कोई झगड़ा था। मृतक बंटी शराब पीने का आदी था और दिनॉक–12.11.2023 को अत्यधिक शराब पी रखी थी, जिस कारण उसके पीछे गिरने के कारण चोट आयी थी और वह बेहोश हो गया था। मृतक बंटी को घटनास्थल से बेहोशी की हालत में गॉव के लोग सरकारी अस्पताल, बुलन्दशहर लेकर गये थे, जहॉ डाक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इन कथनों के आधार पर प्रार्थना पत्र निरस्त करने की याचना की गयी है।

3. पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि प्रस्तुत प्रकरण में वादी वीरपाल सिंह द्वारा दिनॉक–13.11.2023 को थाना कोतवाली देहात, जिला बुलन्दशहर पर इस आशय की लिखित तहरीर दी गयी कि घटना दिनॉक–12.11.2023 को समय करीब सॉय 6.00 बजे की है। उसका भतीजा बंटी दिल्ली से कार्य करके दीपावली का त्यौहार मनाने गॉव आया हुआ था। बंटी से गॉव के ही अरविन्द ने शराब पीने के लिये रूपये मॉगे तो बंटी ने रूपये देने से इन्कार कर दिया। इसी बात को लेकर दोनों में कहासुनी हो गयी, तभी **अरविन्द घर गया और अपने साथ अंकित, विकास, अंशू ,परविन्द** व **संजीव को लेकर आया**, जिसमें अंकित, अरविन्द व संजीव के हाथ में चाकू, विकास, अंशू व परविन्द के हाथ में लोहे की सरिया व राड थी। इन सभी ने बंटी को लाला ओमप्रकाश की दुकान के पास सड़क पर घेर लिया और उसे जान से मारने की नीयत से इन सभी ने चाकू व सरिया से हमला कर दिया, जिससे बंटी लहूलुहान हो गया और जमीन पर गिर गया। चीख पुकार की आवाज सुनकर मौके पर गॉव के ही नीटू व सुमित घटनास्थल पर आ गये, जिन्हें देखकर उक्त मुल्जिमान हवा में हथियार लहराते हुए भाग गये। घायल अवस्था में बंटी को गॉव के ही सुभाष अपनी वाहन में कई अन्य लोगो के साथ सरकारी अस्पताल लाये। जहॉ पर डाक्टर ने बंटी को मृत घोषित कर दिया।

4. बाद विवेचना विवेचक द्वारा अभियुक्तगण अरविन्द, परविन्द उर्फ पीवन, विकास व बाल अपचारी आनन्द के विरूद्ध भी धारा–304/34 भा0दं0सं0 के अन्तर्गत आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया।

5. केस डायरी के अवलोकन से विदित होता है कि प्रस्तुत प्रकरण में वादी द्वारा अरविन्द, अंकित, विकास, अंशु, परविन्द व संजीव को नामित करते हुए प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी गयी है।

6. केस डायरी के साथ सलंग्न तहरीर के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि वादी मुकदमा द्वारा अपनी तहरीर में स्पष्ट रूप से मृतक बंटी अभियुक्त अरविन्द द्वारा शराब पीने के लिये रूपये मॉगने और मृतक बंटी द्वारा रूपये देने से इन्कार कर देने तथा इस बात को लेकर दोनों में

कहासुनी होने और उसके अग्रसारण में अभियुक्त **अरविन्द के घर जाने और वहॉ से अपने साथ सह अभियुक्तगण अंकित, विकास, अंशू ,परविन्द** व **संजीव को लेकर आने** और सभी अभियुक्तगण द्वारा मृतक बंटी को लाला ओमप्रकाश की दुकान के पास सड़क पर घेर लिये जाने और उसे जान से मारने की नीयत से इन सभी अभियुक्तगण द्वारा चाकू व सरिया से हमला करने, जिससे बंटी लहूलुहान होकर जमीन पर गिर जाने और बाद में उसकी मृत्यु हो जाने का कथन किया है।

7. इस प्रकार तहरीर के अवलोकन से प्रथम दृष्टया यह स्पष्ट है कि अभियोजन कथनानुसार प्रश्नगत घटना दो भागों में घटित हुई है, प्रथमतः अभियुक्त अरविन्द व मृतक बंटी के मध्य शराब के रूपये न देने को लेकर कहासुनी हुई है और द्वितीय भाग में अभियुक्त अरविन्द अन्य सह अभियुक्तगण को घर से बुलाकर लाया और तत्पश्चात मृतक बंटी के साथ मारपीट कर उसकी हत्या कारित कर दी गयी।

8. विवेचक द्वारा धारा–161 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत वादी मुकदमा का बयान लेखबद्ध किया गया है, जिसके अवलोकन से विदित होता है कि वादी मुकदमा वीरपाल सिंह द्वारा अपने बयान में भी तहरीर के कथनों का समर्थन किया गया है। उपरोक्त से यह स्पष्ट है कि अभियुक्तगण द्वारा साशय घटनास्थल पर आकर मृतक बंटी के साथ मारपीट कर उसे गम्भीर चोटें पहुॅचायी गयी।

9. विवेचक द्वारा अन्य साक्षीगण का साक्ष्य भी धारा–161 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत लेखबद्ध किया गया है, जिसमें उक्त साक्षीगण द्वारा मृतक बंटी के छाती व गले पर चोट आने का उल्लेख किया गया है तथा उक्त चोटें बाल अपचारी आनन्द द्वारा पहुॅचाया जाना बताया गया है।

10. केस डायरी के साथ सलंग्न मृतक बंटी के पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अवलोकन से विदित होता है कि मृतक बंटी के शरीर पर मृत्यु पूर्व चार चोटें आना दर्शित की गयी हैं, जिनमें से चोट संख्या–1– गर्दन के बॉयी तरफ फटी हुई चोट, चोट संख्या–2 गर्दन के पीछे हिस्से पर सूजनयुक्त नीलगू चोट, चोट संख्या–3 सीने पर फटी हुई चोट व चोट संख्या–4 सीने पर कई सारी खुरसट वर्णित की गयी हैं। विवेचक द्वारा मृतक बंटी के शव का पोस्टमार्टम करने वाले चिकित्सक डॉ0 श्याम प्यारे सिंह का साक्ष्य अन्तर्गत धारा–161 दण्ड प्रक्रिया संहिता अंकित किया गया है। उक्त साक्षी द्वारा अपनी साक्ष्य में यह कथन किया है कि सर के पीछे वाली चोट किसी सख्त तथा कुन्द वस्तु के वार से या सर के बल जोर से पीछे गिरने से आ सकती है, अन्य तीनों चोटें किसी नकुली चीजे जैसे कोई पेचकस या अन्य इसी तरह की वस्तु से आ सकती हैं।

11. केस डायरी पर उपलब्ध मृतक की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि मृतक बंटी के शरीर पर चोट संख्या–1 व 3 क्रमशः गर्दन व सीने पर फटी हुई चोटें होना चिकित्सक द्वारा अंकित किया गया है। इसके अतिरिक्त मृतक के शरीर पर सूजनयुक्त नीलगू चोट व सीने पर कई सारी खुरसट की चोटें होना भी चिकित्सक द्वारा वर्णित किया गया है। ऐसी स्थिति में यह स्पष्ट है कि यदि मृतक के साथ बिना हत्या के आशय के मारपीट की गयी होती, तो निश्चित ही मृतक के शरीर पर आयीं चोटों की प्रकृति इतनी गम्भीर नहीं होती।

12. केस डायरी के अवलोकन से यह भी विदित होता है कि विवेचक द्वारा धारा–161 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत साक्षी रूपचन्द उर्फ रूपी, जिसकी दुकान के पास उक्त घटना घटित होना बताया गया है, ने अपनी साक्ष्य में यह कथन किया गया है कि **उसकी दुकान के बगल से गई गली के मुहाने पर बंटी खड़ा हुआ था, तभी गली के अन्दर से संजय के लड़के अरविन्द, अंकित, परविन्दर, आन्नद तथा कुछ और लडके आये। संजय के लड़को ने आते ही बंटी के साथ मारपीट कर दी थी। बंटी उसकी दुकान के पास ही लहूलुहान होकर गिर पड़ा था।**

13. इस प्रकार साक्षी रूपचन्द उर्फ रूपी के उपरोक्त साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि मृतक बंटी पूर्व से ही उक्त साक्षी की दुकान के बगल वाली गली के मुहाने पर खड़ा हुआ था और बाद में गली के अन्दर से अभियुक्तगण द्वारा आकर मृतक बंटी के साथ मारपीट कर उसे चोटें पहुॅचायी गयीं।

14. उपरोक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि प्रस्तुत प्रकरण में प्रथम दृष्टया अभियुक्तगण अरविन्द, विकास व परविन्द्र उर्फ प्रवीन के द्वारा साशय एकराय होकर मृतक बंटी के साथ मारपीट कर गम्भीर चोटें पहुॅचाकर उसकी हत्या कारित करने के सम्बन्ध में प्रथम दृष्टया पर्याप्त साक्ष्य केस डायरी में उपलब्ध है। ऐसी स्थिति में प्रस्तुत प्रकरण में अभियुक्तगण अरविन्द, विकास व परविन्द्र उर्फ प्रवीन के विरूद्ध गैर इरादतन हत्या के अपराध अन्तर्गत धारा–304 भा0दं0सं0 के स्थान पर हत्या कारित करने के अपराध अन्तर्गत धारा–302 भा0दं0सं0 के गठन हेतु आवश्यक अव्यव केस डायरी में वर्णित साक्ष्य में उपलब्ध हैं। अतः अभियुक्तगण अरविन्द, विकास व परविन्द्र उर्फ प्रवीन के विरूद्ध के विरूद्ध धारा–302 सपठित धारा–34 भा0दं0सं0 के अन्तर्गत आरोप विरचित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। तद्नुसार वादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 10बी स्वीकार किया जाता है।

<u>आदेश</u>

वादी वीरपाल सिंह की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 10बी स्वीकार किया जाता है। अभियुक्तगण अरविन्द, विकास व परविन्द्र उर्फ प्रवीन के विरूद्ध धारा–302 सपठित धारा–34 भा0दं0सं0 के अन्तर्गत आरोप विरचित करने हेतु पत्रावली दिनॉक–3.10.2024 को पेश हो।

(सुरेश कुमार शर्मा)
अपर सत्र न्यायाधीश,
न्याय कक्ष संख्या–2, बुलन्दशहर।
J.O. Code-6080
18.9.2024

शिवम गौड़, पी0ए0